भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3376

दिनांक 12 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

.....

पीएमकेएसवाई के अंतर्गत एससीएडीए-आईओटी आधारित सिंचाई आधुनिकीकरण

3376. श्री दुष्यंत सिंहः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन (एससीएडीए)-आईओटी आधारित निगरानी और नियंत्रण प्रणाली, कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (एम-सीएडीडब्ल्यूएम) के आधुनिकीकरण और अन्य सिंचाई कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उन सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जहां ऐसी प्रणालियों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा चुका है, कार्यान्वयन के अधीन है या संस्वीकृत किया गया है और प्रत्येक श्रेणी में राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी परियोजनाएं हैं;

(ग) क्या बजट अनुमान 2026-27 में एससीएडीए-समर्थित अथवा सेंसर आधारित सिंचाई आधुनिकीकरण के लिए कोई विशिष्ट आवंटन निर्धारित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसी पहलों के अंतर्गत कमान क्षेत्र कवरेज, परियोजना लागत और जारी की गई निधि का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या ऐसी प्रणालियों के माध्यम से जल उपयोग दक्षता, ऊर्जा की बचत और समग्र सिंचाई निष्पादन में सुधार के संबंध में कोई मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री
(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) और (ख): जल के राज्य का विषय होने के कारण, सिंचाई परियोजनाओं की योजना बनाना, उन्हें लागू करना और उनका प्रबंधन करना तथा राज्य में सिंचाई व्यवस्था को व्यापक बनाने के लिए कार्य योजना तैयार करना संबंधित राज्य सरकार का दायित्व है। भारत सरकार की भूमिका तकनीकी सहायता प्रदान करने और चल रही योजनाओं के अंतर्गत चिन्हित परियोजनाओं के लिए आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करने तक सीमित है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) वर्ष 2015-16 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य खेतों में जल की वास्तविक उपलब्धता को बढ़ाना, सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, खेतों में जल की उपयोग दक्षता में सुधार करना, स्थायी जल संरक्षण पद्धतियों को लागू

करना आदि था। भारत सरकार ने दिसंबर 2021 में पीएमकेएसवाई के कार्यान्वयन को वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी) के अंतर्गत भूमिगत पाइपलाइन, सूक्ष्म सिंचाई, एससीएडीए आधारित निगरानी आदि जैसी तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा दिया जाता है। राज्यों को जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए ऐसे उपायों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत एससीएडीए को एक घटक के रूप में शामिल करने वाली कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सूची **अनुलग्नक-I** में दी गई है।

इसके अलावा, मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 09.04.2025 को पीएमकेएसवाई की उप-योजना के रूप में कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन के आधुनिकीकरण (एम-सीएडीडब्ल्यूएम) के लिए पायलट परियोजनाओं को लागू करने की मंजूरी दी गई है। इस योजना का उद्देश्य एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के सिद्धांतों को अपनाते हुए निर्दिष्ट क्लस्टर में दबावयुक्त पाइप नेटवर्क के माध्यम से जल का कुशल वितरण और उपयोग तथा सूक्ष्म सिंचाई का उपयोग करना है। योजना के अंतर्गत जल लेखांकन और जल प्रबंधन के लिए सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन (एससीएडीए) और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) की भी परिकल्पना की गई है। एम-सीएडीडब्ल्यूएम योजना के अंतर्गत 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कुल 32 क्लस्टरों को शामिल करने की मंजूरी दी गई है। इन 32 क्लस्टरों का विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(ग): पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत राज्यों को परियोजना-वार मूल स्वीकृतियां (बजट आवंटन) जारी की जाती हैं। किसी परियोजना के अंतर्गत आने वाले घटकों को एक वित्तीय वर्ष में परियोजना के अंतर्गत हुई प्रगति और उस वित्तीय वर्ष में परियोजना के निष्पादन के लिए उनकी कार्य योजना के आधार पर शुरू किया जाता है। एम-सीएडीडब्ल्यूएम योजना के लिए स्वीकृत कुल परिव्यय 1600 करोड़ रुपए है, जिसमें से केंद्र सरकार का शेयर 1100 करोड़ रुपए (प्रशासनिक और अन्य व्यय के लिए 100 करोड़ रुपए सहित) और राज्य सरकार का शेयर 500 करोड़ रुपए है। वर्ष 2026-27 के बजट अनुमान (बीई) में 550 करोड़ रुपए का परिव्यय है।

(घ): एम-सीएडीडब्ल्यूएम योजना से संबंधित विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(ङ): जी, नहीं। हालांकि, एम-सीएडीडब्ल्यूएम योजना विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों के लिए उपयुक्त मॉडल विकसित करेगी, जिसमें जल के विभिन्न स्रोतों और जल उपलब्धता के विभिन्न स्तरों को एकीकृत किया जाएगा, और सुनिश्चित सिंचाई और संरक्षित सिंचाई दोनों क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। ये मॉडल सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जल प्रबंधन और विशेष रूप से सिंचाई सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए एक राष्ट्रीय योजना के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा, जो एकीकृत, स्थायी, कुशल और समावेशी जल प्रबंधन पर आधारित होगी।

*****

अनुलग्नक-I

'पीएमकेएसवाई के अंतर्गत एससीएडीए-आईओटी आधारित सिंचाई आधुनिकीकरण' के संबंध में दिनांक 12.03.2026 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय अतारांकित प्रश्न सं. 3376 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत एससीएडीए को एक घटक के रूप में शामिल करने वाली महत्वपूर्ण परियोजनाएं

क्र. सं.	**राज्य**	**परियोजना का नाम**	**परियोजना की स्थिति**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1.	कर्नाटक	नारायणपुर लेफ्ट बैंक कैनाल का ईआरएम	पूर्ण
2.	मध्य प्रदेश	इंदिरा सागर नहर परियोजना चरण-V (खरगांव लिफ्ट)	पूर्ण
3.	महाराष्ट्र	लोअर वर्धा परियोजना	पूर्ण
4.	महाराष्ट्र	बेम्बला नदी परियोजना	पूर्ण
5.	महाराष्ट्र	डोंगरगांव परियोजना	पूर्ण
6.	महाराष्ट्र	बोदवड परिसर सिंचन योजना चरण-I	जारी
7.	महाराष्ट्र	गोसीखुर्द परियोजना	जारी
8.	महाराष्ट्र	लोअर पेढ़ी परियोजना	जारी
9.	तेलंगाना	जे. चोक्का राव देवदुला लिफ्ट सिंचाई योजना	जारी
10.	झारखंड	सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना	जारी

अनुलग्नक-II

'पीएमकेएसवाई के अंतर्गत एससीएडीए-आईओटी आधारित सिंचाई आधुनिकीकरण' के संबंध में दिनांक 12.03.2026 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय अतारांकित प्रश्न सं. 3376 के भाग (क) और (ख) एवं (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

एम-सीएडीडब्ल्यूएम के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं/क्लस्टरों की सूची

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्लस्टर का नाम	जिला	क्लस्टर सीसीए (हेक्टेयर)	कुल लागत (रुपए करोड़ में)	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र को जारी राशि (सीए का 5%) (रुपए हजार में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	आंध्र प्रदेश	पेद्दागेडा परियोजना डब्ल्यूयूए - 3,4,5,6 क्लस्टर	विजयनगरम और पार्वतीपुरम मान्यम	3061	60.76	18,228
2	अरुणाचल प्रदेश	डेकम रिक्मेंग (लेडम गांव)	पूर्वी सियांग	978	19.41	8,736
3	असम	सिंगुआ एफआईएस	कामरूप	1200	23.82	10,719
4	बिहार	महमदपुर बादल(480)	मुजफ्फरपुर	2450	48.6325	14,590
5	बिहार	बंगड़ा-किशुनपुर	सारण	2,195	43.57	13,071
6	छत्तीसगढ़	बगिया	जशपुर	4831	95.90	28,769
7	गोवा	साल, वडवाल, मेनक्यूरेम /अडवालपाल	उत्तरी गोवा	1,563	31.03	9,308
8	गुजरात	मांडवी- मंगरोल तालुका गांव	सूरत	6,069	120.46	36,139
9	गुजरात	पिंचवी	गिर सोमनाथ	523	10.38	3,114
10	हरियाणा	पनिहार-चौधरीवास	हिसार	4,950	98.26	29,477
11	हिमाचल प्रदेश	हरोली ब्लॉक, जिला ऊना	ऊना	4889	97.05	43,671
12	कर्नाटक	तुंगभद्रा लेफ्ट बैंक नहर की डिस्ट्रीब्यूटरी 54 9आर	रायचूर	2,600	51.61	15,483
13	कर्नाटक	हट्टीकुनी	यादगिरी	2,145	42.58	12,773

14	मध्य प्रदेश	गुदरिया	खंडवा	2,320	46.05	13,816
15	मध्य प्रदेश	नेतनगांव	खंडवा	2,387	47.38	14,213
16	मध्य प्रदेश	बहुती पीएच2	रीवा	3160	62.73	18,818
17	महाराष्ट्र	वाघुर एलबीसी की असोदा भदाली शाखा नहर	जलगांव	4996	99.17	29,751
18	मणिपुर	पेंगजंग	चुराचांदपुर	500	9.93	4,466
19	मेघालय	लिंगखोई एफआईपी	पूर्वी खासी हिल्स	170	3.37	1,519
20	मिजोरम	चम्फाई उप-घाटी एमसीएडी क्लस्टर, चम्फाई	चम्फाई	320	6.35	2,858
21	नागालैंड	मोंगल्यू जलुकी	पेरेन	200	3.97	1,787
22	ओडिशा	एमसीएडी क्लस्टर- V	नुआपाडा	3,180	63.12	18,937
23	पंजाब	एसबीएस नगर	एसबीएस नगर	856	16.99	5,097
24	पंजाब	लुधियाना, मलेरकोटला, फतेहगढ़ साहिब	लुधियाना, मलेरकोटला, फतेहगढ़ साहिब	1500	29.78	8,933
25	राजस्थान	बीसलपुर की दाहिनी मुख्य नहर (आरएमसी) परियोजना	टोंक	5,000	99.25	29,775
26	तमिलनाडु	पल्लाडम एक्सटेंशन नहर	तिरुपुर	4,989	99.03	29,709
27	त्रिपुरा	ब्रह्मचेरा	खोवाई	135	2.68	1,206
28	उत्तर प्रदेश	बरगदवा	गोरखपुर	149	2.96	887
29	उत्तर प्रदेश	मलाऊं और मझगवां	गोरखपुर	550	10.92	3,275
30	उत्तर प्रदेश	प्रजापतिपुर	संत कबीर नगर	284	5.64	1,691
31	उत्तर प्रदेश	राजधानी	गोरखपुर	790	15.68	4,704
32	जम्मू और कश्मीर	पट्यारी	सांबा	400	7.94	3,573

****